न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 291/2025

जयमल पुत्र मगनाराम, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम जहाज, ढाणी बेरा की, पुलिस थाना उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं राज0।

––प्रार्थी

बनाम

1. ईश्वरलाल पुत्र फूलचन्द, निवासी जोशी कॉलोनी, नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, राज0।
2. लीलूराम पुत्र भागीरथ, निवासी ग्राम जहाज, पुलिस थाना उदयपुरवाटी0 जिला झुंझुनूं राज0।
3. श्रीमती रजनी यादव, हाल तहसीलदार उदयपुरवाटी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं राज0।

––अप्रार्थीगण

––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 भू राजस्व अधिनियम

––

उपस्थितः–

1. श्री मनोहर लाल सैनी, अभिभाषक – आवेदक की ओर से उपस्थित नही।
2. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया, एडवोकेट– अप्रार्थी सं0 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट सं0 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 25.08.2025

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम जहाज की सरहद में भूमि नया खसरा नं0 1032/778 व 1036/779 का मुस्तगीस ने अपने आपको खातेदार काश्तकार होना बताया उक्त भूमि के बाबत झूठे तथ्य दर्ज करके तहसीलदार, उदयपुरवाटी के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश करके उक्त भूमि को संपरिवर्तन करवा लिया था जिसके बाबत् उक्त भूमि पर काबिज अप्रार्थी नं0 2 लीलूराम पुत्र भागीरथ को उक्त संपरिवर्तन आदेश का पता चलने के तुरन्त बाद उक्त लीलूराम ने तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त भूमि पर अप्रार्थी नं0 1 का कब्जा नहीं होने के कारण उक्त संपरिवर्तन आदेश को निरस्त करवाने बाबत् आवेदन पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार, उदयपुरवाटी ने पटवारी हल्का जहाज व भू0अ0 निरीक्षक छापोली से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई जिसके अनुसार उक्त भूमि पर पशुओं को बांधने के लिए टीनशेड बने हुए हैं व एक चूना, ईंट से मकान बना हुआ है जिसमें पशुओं का चारा डाला हुआ है और प्रार्थी जयमल पुत्र मगनाराम सैनी का रहना दर्ज किया है व टीनशेड व मकान श्री सरदारमल सैनी, जगदेवाराम, बीरबलराम, फूलचन्द व रामनिवास पुत्र हरषाराम, जयमल व किशनलाल पुत्र मगनराम के कब्जे में होने बाबत् रिपोर्ट पेश की है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, उदयपुरवाटी ने उक्त संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 45 दिनांक 29.06.2021 को आदेश क्रमांक दिनांक 07.09.2022 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसके बाद अप्रार्थी नं0 1 ने उक्त आदेश के विरुद्ध रिविजन/अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की जिसके बाद न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड कर दी तथा दोनों पक्षकारों को सुनकर पुनः आदेश पारित करने का आदेश पारित किया जिसके बाद प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थी का भी उक्त भूमि पर कब्जा है तथा उसने अपने मकान बना रखे हैं इस कारण से प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन करके पक्षकार बना है। इसलिए प्रार्थी द्वारा वर्तमान प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। विपक्षी

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

नं0 1 ताकतवर व राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति हैं जो अपनी ताकत के बल पर राजनैतिक दबाव डालकर जबरन प्रार्थी की कब्जेशुदा भूमि पर कब्जा करके विक्रय कर खुर्द बुर्द करना चाहते हैं तथा आए दिन प्रार्थी को ऐलानिया धमकी देते है कि विपक्षी नं0 3 हमारा आदमी है उससे हम जैसे चाहेंगे जैसे उक्त भूमि के बाबत् आदेश करवाएंगे तथा जब हम चाहेंगे तब उक्त प्रकरण का निस्तारण करवायेंगे तथा बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाए पुनः आपके कब्जे शुदा भूमि का संपरिवर्तन करवायेंगे। इसके अलावा विपक्षी नं0 1 तारीख पेशी के दिवस तथा अन्य कई बार विपक्षी नं0 1 के कार्यालय में विपक्षी नं0 3 के साथ बैठकर चाय, पानी, नाश्ता करता रहता है तथा विपक्षी नं0 3 स्वयं विपक्षी नं0 1 को अपने अधीनस्थ कर्मचारी से बुलाकर उसके साथ चाय, पानी, नाश्ता करता है तथा प्रकरण में किसी कारण से बुलाकर उसके साथ तारीख पेशियां दे रहा है तथा प्रकरण में पक्षकारान के भौतिक कब्जे के आधार पर आई रिपोर्ट को अनदेखा कर रहा है। इस प्रकार प्रार्थी को विपक्षी नं0 3 से किसी प्रकार की कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त पत्रावली को अन्य न्यायालय को हस्तानान्तरित किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी को तहसीलदार, उदयपुरवाटी के पीठासीन अधिकारी श्रीमती रजनी यादव से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में बिना किसी कारण के उक्त प्रकरण में छोटी–छोटी तारीख पेशी दे रही है तथा प्रार्थी को बार बार कहती है कि हम इस प्रकरण में उक्त भूमि का संपरिवर्तन करेंगे। विपक्षी नं0 3 न्यायालय कक्ष में भी विपक्षी नं0 1 के पक्ष में पक्षपात करता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में राजनैतिक प्रभाव व विपक्षी नं0 1 के प्रभाव में आकर प्रकरण में विपक्षी नं0 1 के पक्ष में पक्षपात कर रही है जबकि प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। उक्त प्रकरण को पीठासीन अधिकारी विपक्षी नं0 1 के प्रभाव में आकर बिना भौतिक कब्जे के आधार पर संपरिवर्तन करके प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि को खुर्द बुर्द कर विपक्षी नं0 1 का कब्जा करवाना चाहती है। अप्रार्थी नं0 1 प्रार्थी की कब्जा व काश्त की भूमि पर जबरना कब्जा कर उसको विक्रय करना चाहता है जबकि प्रार्थी का पक्ष उक्त प्रकरण बहुत ही मजबूत दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित होने के कारण उसको प्रकरण में सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है जबकि अप्रार्थीगण नं0 1 ने पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेकर प्रकरण को गलत आधारों पर निस्तारण करवाना चाहता है जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक हानि हो रही है। इस कारण उक्त प्रकरण को अन्य निष्पक्ष एवं सखम राजस्व न्यायालय को अन्तरित किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का अन्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के समक्ष लम्बित ग्राम जहाज की सरहद में भूमि नया खसरा नं0 1032/778 व 1036/779 की संपरिवर्तन की पत्रावली को न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के न्यायालय से किसी अन्य सक्षम राजस्व न्यायालय में विचारण हेतु अन्तरित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार, उदयपुरवाटी से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार, उदयपुरवाटी ने अपने पत्रांक रीडर/2025/986 दिनांक 04.08.2025 द्वारा प्रकरण मे विस्तृत बिन्दूवार टिप्पणी भिजवाई गई।

वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 उपस्थित नही। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी सं0 1 ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां दर्ज प्रा0प0 सं0 1611 उनवानी धीरसिंह शेखावत बनाम श्री पंकज कुमार शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 19.08.2025 की नजीर पेश करते हुए बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी ने महज कयास के आधार पर यह प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण का पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे मुकदमा स्थानान्तरण के बारे मे कोई ठोस तथ्य अंकित नही किये है। प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र निराधार पर बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र मुकुदमा स्थानन्तरण का मात्र

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

देरी के उद्देश्य से पेश किया गया है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण का खारीज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 3 ने अपनी बहस में वकील आवेदक के कथनों का विरोध करते हुए कथनों किया कि अदालत मातहत द्वारा विधिसम्मत् कार्यवाही की जाकर समुचित सुनवाई की जा रही है। वकील प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी पर कोई विशेष आरोप नही लगाये है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र निराधार व मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है जो खारीज होने योग्य है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार, उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे ऐसे कोई ठोस तथ्य दर्ज नही किये है जिनसे यह प्रतीत हो कि न्यायालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी मे दर्ज प्रकरण सं0 राजस्व/2022/2023 निर्णय दिनांक 07.09.2022 को अन्य न्यायालय मे अन्तरित किया जाना उचित हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि प्रार्थी के साथ अदालत मातहत ने कोई अन्याय किया हो। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों को साबित करने मे विफल रहा है। प्रार्थी स्वयं एवं उसका वकील आज बहस हेतु भी उपस्थित नही हुए है। वकील अप्रार्थी 1 द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां दर्ज प्रा0प0 सं0 1611 उनवानी धीरसिंह शेखावत बनाम श्री पंकज कुमार शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 19.08.2025 की नजीर भी हस्तगत प्रकरण मे चस्पा होती है कि महज कयास के आधार पर प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण पेश नही किया जा सकता है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अदालत मातहत को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं